संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्रमांक 37/उपांतरण-8/नग्रानि./2023.—संचालक एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत संचालनालय की सूचना क्रमांक 2341/उपांतरण-8/नग्रानि./2022, दिनांक 05-09-2022 द्वारा रायगढ़ विकास योजना 2021 में व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायगढ़ विकास योजना 2021 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा क्रमांक	रकबा	अंगीकृत विकास योजना में दर्शित भू-उपयोग	छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) के खण्ड (ख) के तहत् उपांतरण हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भगवानपुर तहसील-रायगढ़ प.ह.नं.-00024	127/13, 127/16, 127/19, 132/4, 132/5, 132/10, 132/17, 127/2, 132/106, 132/107, 132/108, 132/109, 132/110, 132/111, 132/112, 132/117, 132/118, 132/119 & 132/121	1.913 हेक्ट.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	व्यावसायिक
2.		127/15	0.054 में से 0.040 हेक्ट.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	व्यावसायिक (0.014 हेक्ट. मार्ग छोड़कर)
3.		127/18	0.166 में से 0.153 हेक्ट.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	व्यावसायिक (0.013 हेक्ट. मार्ग छोड़कर)
	कुल रकबा		**2.106 हेक्ट.**		

2. उक्त उपांतरण श्री राजेश जिंदल, डायरेक्टर, रियलस्टीक, बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा रायगढ़ विकास योजना 2021 के ग्राम-भगवानपुर, प.ह.नं.-00024, तहसील व जिला-रायगढ़ स्थित भूमि कुल रकबा 2.1330 हेक्ट. भूमि प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत प्रभावित भूमि (0.027 हेक्ट.) छोड़कर शेष भूमि 2.106 हेक्ट. का विकास योजना में दर्शित भूमि उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. राज्य शासन द्वारा रायगढ़ विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण का अनुमोदन किया गया है. उक्त उपांतरण रायगढ़ विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

जे. पी. पाठक,
आयुक्त.